(2)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमसिंह बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 13/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह, पता शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.11.18 में उसके द्वारा (1) राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि0 जोधपुर (रिको) हेतु जोधपुर पाली मुख्य सड़क पर कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र हेतु ग्राम कांकाणी निम्बला एवं खाराबेरा पुरोहितान में रीकों को कुल 79.56 हेक्टर भूमि आवंटित की गई। 79.56 हेक्टर आंवटित भूमि में रोयड़ा, खेजड़ी के कितने वृक्ष लगे हुए है नियमानुसार रोयड़ा, खेजड़ी की गणना की नियमानुसार प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी लूणी) से जरिये पत्रांक 136 दिनांक 17.01.19 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि खेमसिंह द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के पत्रांक 684–85 दिनांक 19.11.2018 के द्वारा सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं क्षेत्रीय प्रबंधक रिको जोधपुर के कार्यालय को धारा 6(3) के तहत स्थानान्तरित किया गया तथा प्रार्थी को भी सूचित किया गया। चूंकि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विधिक प्रकिया के तहत संबंधित कार्यालय के लोक सूचना अधिकारियों को स्थानान्तरित किया जा चुका है अतः रेस्पो. लोक सूचना अधिकारी के पास कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रही है। अपीलार्थी/प्रार्थी सूचना प्राप्त करने के लिए ईच्छुक है तो अब भी जोधपुर विकास प्राधिकरण/रिको कार्यालय के सक्षम अपीलेट अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने की चाराजोई करनी चाहिए। अतः इस स्टेज पर यह अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एव पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	